कर राजस्व

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014	बजट 2014-2015	संशोधित 2014-2015	बजट 2015-2016
कर राजस्व						
1.	***निगम कर***					
1.01	संग्रह	0020	340898.00	405434.00	383027.00	415382.00
1.02	अधिभार	0020	13007.00	32435.00	30642.00	41538.00
1.03	शिक्षा उपकर	0020	11167.00	13136.00	12410.00	13708.00
1.04	विविध प्राप्तियां	0020	29605.85	...	...	...
जोड़-निगम कर			*394677.85*	*451005.00*	*426079.00*	*470628.00*
2.	***आय पर कर***					
2.01	संग्रह	0021	227714.03	264670.00	259167.00	303991.00
2.02	अधिभार	0021	738.80	5500.00	5500.00	7500.00
2.03	शिक्षा उपकर	0021	6889.80	8105.00	7940.00	9345.00
2.04	विविध प्राप्तियां	0021	2474.60	...	...	...
2.05	बैंक कारोबार कर (बीसीटीटी)	0036	0.01	...	...	...
2.06	प्रतिभूति कारोबार कर	0034	5017.50	5991.00	5992.00	6531.00
2.07	होटल प्राप्तियां कर	0023	0.61	...	...	...
2.08	ब्याज कर	0024	8.00	...	...	...
2.09	अनुषंगी लाभ कर	0026	4.71	...	...	...
2.10	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	8.90	...	...	...
जोड़-आय पर कर			*242856.96*	*284266.00*	*278599.00*	*327367.00*
3.	***धन कर***					
3.01	संपदा शुल्क	0031	0.44	...	...	...
3.02	धन पर कर	0032	1006.90	950.00	950.00	...
3.03	उपहार कर	0033	0.53	...	...	...
जोड़-धन कर			*1007.87*	*950.00*	*950.00*	*...*
4.	**सीमा शुल्क**					
4.01	आयात शुल्क					
4.01.01	बुनियादी शुल्क	0037	46962.95	58106.00	55058.00	60000.00
4.01.02	सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	86203.42	99475.00	91600.00	101921.00
4.01.03	विशेष सीवी ड्यूटी	0037	25629.48	29498.00	29070.00	32400.00
4.01.04	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	20.08	...	20.50	...
4.01.05	हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	28.83	...	18.00	...
4.01.06	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	60.27	...	61.50	...
4.01.07	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	1285.38	1500.00	1470.00	1640.00
4.01.08	शिक्षा उपकर	0037	2704.36	3173.00	3250.00	3624.00
4.01.09	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	1443.17	1586.00	1625.00	1812.00
जोड़-आयात शुल्क			*164337.94*	*193338.00*	*182173.00*	*201397.00*
4.02	निर्यात शुल्क	0037	2804.96	3250.00	1000.00	1050.00
4.03	निर्यात पर उपकर	0037	16.33	18.00	40.00	44.00
4.04	अन्य प्राप्तियां	0037	4926.19	5213.00	5500.00	5845.00
जोड़-सीमा शुल्क			*172085.42*	*201819.00*	*188713.00*	*208336.00*
5.	***केन्द्रीय उत्पाद शुल्क***					
5.01	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	102963.37	127295.00	107775.00	128087.00
5.02	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	4119.81	4700.00	5450.00	10500.00
5.03	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	15143.23	16700.00	17750.00	32600.00
5.04	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	3364.56	3550.00	3650.00	4050.00
5.05	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	13177.98	14300.00	14300.00	15600.00

(₹ करोड़)

	कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014	बजट 2014-2015	संशोधित 2014-2015	बजट 2015-2016
5.06	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	979.37	1100.00	950.00	1060.00
5.07	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01	शिक्षा उपकर	0038	4531.55	5210.00	4217.00	...
5.07.02	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	2224.72	2604.00	2108.00	...
5.07.03	अन्य	0038	18506.42	23135.07	21440.37	23141.96
5.07.04	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0038	3471.98	6857.50	6217.63	13118.04
जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर			*28734.67*	*37806.57*	*33983.00*	*36260.00*
5.08	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01	कोयला और कोक	0038	565.38	580.00	570.00	580.00
5.08.02	नमक	0038	3.30	3.85	3.95	4.10
5.08.03	रबड़	0038	115.43	125.00	105.00	105.00
5.08.04	माइका	0038	22.97	2.54	2.54	2.73
5.08.05	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क	0038	34.82	15.65	15.14	16.70
5.08.06	लाइम स्टोन व डोलोमाइट	0038	64.83	14.98	14.46	15.98
5.08.07	सिने कामगार	0038	6.81	1.81	1.73	1.93
5.08.08	प्रदूषण (वायु एवं जल) निवारण एवं नियंत्रण	0045	261.73	250.00	225.00	250.00
5.08.08.01	घटाइए - व्यय में से प्राप्तियां	0045	-261.73	-250.00	-225.00	-250.00
निवल			...	...	...	...
5.08.09	अनुसंधान और विकास	0045	737.54	750.00	745.00	750.00
5.08.10	बीड़ी फण्ड	0038	157.84	160.00	160.00	170.00
5.08.11	अन्य लेखाओं के अन्तर्गत उपकर	0045	4.26	4.00	4.50	4.50
5.08.12	कपड़ा तथा कपड़ा मशीनरी पर उपकर संग्रह	0038	0.77	0.60	0.10	0.60
निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर			*1713.95*	*1658.43*	*1622.42*	*1651.54*
निवल - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क			*170196.94*	*207110.00*	*185480.42*	*229808.54*
6. सेवा कर						
6.01	संग्रहण	0044	150458.89	209682.00	163235.00	208856.00
6.02	शिक्षा उपकर	0044	2936.48	4194.00	3265.00	612.00
6.03	माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	1382.75	2097.00	1632.00	306.00
जोड़-सेवा कर			*154778.12*	*215973.00*	*168132.00*	*209774.00*
7. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क						
7.01	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0040	0.75	...	...	...
7.02	अन्य कर	0045	...	...	...	...
जोड़-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			*0.75*	...	...	...
8. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
8.01	भू-राजस्व	0710	4.61	9.82	5.35	6.25
8.02	स्टाम्प तथा पंजीकरण	0710	160.16	152.63	168.22	180.65
8.03	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	513.08	463.00	535.00	540.00
8.04	बिक्री कर	0710	2208.87	2517.62	2500.00	2605.00
8.05	वाहनों पर कर	0710	167.31	190.90	172.50	183.05
8.06	वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर	0710	9.12	10.40	7.90	8.42
8.07	विद्युत पर कर तथा शुल्क	0710	38.15	23.50	18.00	19.50
8.08	अन्य कर तथा शुल्क	0710	28.53	33.54	30.81	34.15
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			*3129.83*	*3401.41*	*3437.78*	*3577.02*
जोड़ - कर राजस्व			**1138733.74**	**1364524.41**	**1251391.20**	**1449490.56**
9. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी						
9.01	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-1285.38	-1500.00	-1470.00	-1640.00
9.02	एनसीसीडी केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0038	-3364.56	-3550.00	-3650.00	-4050.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			*-4649.94*	*-5050.00*	*-5120.00*	*-5690.00*
10. घटाएं - राज्यों का हिस्सा		0710	-318229.58	-382215.94	-348009.41	-523958.24
11. घटाइए - वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्य-अंश का समायोजन		0710	...	...	10200.96	...
कुल जोड़			***815854.22***	***977258.47***	***908462.75***	***919842.32***

उपयुक्त विवरण में मोटे तौर पर 2015-16 के लिए कर प्राप्तियों के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2014-15 के बीच अन्तर तथा 2015-16 के बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्ष्मी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकर को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

1. निगम कर : यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2013-14 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 451005 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 426079 करोड़ रुपए है। 2015-16 का बजट अनुमान 470628 करोड़ रुपए है।

2. आयकर : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2014-2015 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 284266 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 278599 करोड़ रुपए है। 2015-16 के लिए बजट अनुमान 327367 करोड़ रुपए है।

3. धन कर : धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। 2014-2015 के लिए धन कर का संशोधित अनुमान, 950 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 950 करोड़ रुपए है।

4. सीमा शुल्क : 2014-2015 के लिए सीमा शुल्कों का संशोधित अनुमान, 201819 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 188713करोड़ रुपए है। 2015-16 का बजट अनुमान 208336 करोड़ रुपए है।

4.01.01 बुनियादी शुल्क : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क का बुनियादी शुल्क आयातित माल पर लगाया जाता है।

4.01.02 सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) : सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की औसत सेनवैट दर 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है तथा 17.03.2012 से यह 10% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है ।

4.01.03 विशेष सीवी शुल्क : सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिसंतुलित करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहणीय है।

4.01.04 मोटर स्पिरिट पर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

4.01.05 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

4.01.06 मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

4.01.07 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क आयातित बहु-प्रयोजन वाहन, पोलीस्टर फिलामेन्ट यार्न, दुपहियों पर लगाया जाता था । बाद में, यह कर मोटर कारों, पेट्रोलियम क्रूड, मोबाइल फोन आदि जैसी कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भी लगा दिया गया । राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क पोलियस्टर फिलामेंट यार्न से हटा दिया गया है और बजट 2008-09 से मोबाइल फोनों पर 1 प्रतिशत की दर से लगा दिया गया है।

4.01.08 शिक्षा उपकर : कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।

4.01.09 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर : कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है।

4.02 निर्यात शुल्क : कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2013-14 में बकाया सीमा-शुल्कों का वास्तविक संग्रहण 1048.22 करोड़ रुपए था। संशोधित अनुमान 2014-15 तथा बजट अनुमान 2015-16 के लिए बकाया सीमा शुल्कों के संग्रहण के लिए क्रमशः 2000 करोड़ तथा 2500 करोड़ रुपए का लक्ष्य है।

5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 2014-2015 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान, 207110 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 185480.42 करोड़ रुपए है। 2015-16 का बजट अनुमान 229808.54 करोड़ रुपए है।

5.01 बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क : केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। औसत सेनवैट दर को 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा 17.03.2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है।

5.02 मोटर स्प्रिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

5.03 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इसे समान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

5.04 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, पान मसाला तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त विधेयक, 2001 के तहत लगाया जाता था। वित्त विधेयक, 2003 में उस लेवी को : (क) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, मोटर कार, दुपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन पर 1 प्रतिशत की दर से, और (ख) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन से लगाया जा रहा है ।

5.05 मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : यह वित्त विधेयक, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

5.06 पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार : सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीड़ी पर यह नहीं लगाया जाता है।

5.07.01 शिक्षा उपकर : यह कुल उत्पाद शुल्कों के 2 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

5.07.02 माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर : यह कुल उत्पाद शुल्कों के 1 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2013-14 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया संग्रहण 1413.99 करोड़ रुपए रहा । इसके संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2014-15 और बजट अनुमान 2015-16 में क्रमशः 2000 करोड़ और 2000 करोड़ रुपए का है।

5.07.04 स्वच्छ ऊर्जा उपकर : वित्त विधेयक 2010 की धारा 83 के अन्तर्गत, यह भारत में उत्पादित कच्चा कोयला, लिग्नाइट तथा पीट पर लगाया जाता था। यह उपकर 01-07-2010 से प्रभावी है तथा इसे उत्पाद शुल्क के बतौर संग्रहित किया जाता है।

6. सेवा कर : वर्ष 2014-15 हेतु सेवा कर का संशोधित अनुमान, 215973 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 168132 करोड़ रुपए है। 2015-16 के लिए बजट अनुमान 209774 करोड़ रुपए का है।

नकारात्मक सूची : 01.07.2012 से सेवाओं के कराधान की एक "नकारात्मक एप्रोच लिस्ट" शुरू की गई है। इस सूची में निर्दिष्ट सेवाएं टैक्स नेट से बाहर रहेंगी। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93(1) में यथानिहित शक्तियों द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाएं सेवा कर के दायरे में होंगी अर्थात उन पर सेवाकर वसूला जाएगा।

6.02 शिक्षा उपकर तथा उच्चतर शिक्षा उपकर : शिक्षा उपकर और उच्चतर शिक्षा उपकर कुल सेवा कर पर क्रमशः 2% और 1% की दर से वसूल किया जाना है।

बकाया संग्रहण : 2013-14 में सेवाकर बकायों का वास्तविक संग्रहण रु. 1231.82 करोड़ था। सेवाकर के बकाया संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2014-15 तथा बजट अनुमान 2015-16 क्रमशः 1000 करोड़ तथा 2500 करोड़ रुपए हैं।

8. संघ राज्य क्षेत्रों के कर : यह बिना विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संग्रहीत करों से बना है और इसमें राज्यों द्वारा साधारणतः संग्रहीत करों की मदें शामिल हैं। ये कर केन्द्र सरकार के लिए संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संगृहीत किए जाते हैं।

9. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अन्तरित एनसीसीडी : 2014-15 के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष को अन्तरित किए जाने वाले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क की संशोधित अनुमान 5050 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 5120 करोड़ रुपए था । 2015-16 के लिए बजट अनुमान 5690 करोड़ रुपए है।

10. राज्यों का हिस्सा : 2014-15 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से का संशोधित अनुमान, 348009.41 करोड़ रुपए है, जिसमें से 10200.96 करोड़ रुपए संशोधित अनुमान तथा करों व शुल्कों के वास्तविक संग्रहण के अनुसार 2013-14 के दौरान अधि निर्गमित राशियों 382215.94 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के विरूद्ध समायोजनीय है। 2015-16 का बजट अनुमान 523958.24 करोड़ रुपए है।

कर राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2004 (एफआरबीएम नियम) के नियम 6 के अनुपालन में, कर राजस्व सम्बन्धी प्रकटन विवरण दिखाया गया है परन्तु प्रमुख करों के सम्बन्ध जो अनुबन्ध 11 में दर्शित है, में उसे वसूल नहीं किया गया ।